कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0) सूचना का अधिकार

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

क्र0/तक0/ 1578 सिंगरौली, दिनांक 28-02-2024

प्रति,

महाप्रबंधक

म0प्र0 जल निगम

मर्यादित परि.कि.ई सिंगरौली

विषयः– सिंगरौली जिले में गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 3.1519 हे0 (ऑनलाईन आवेदित 3.2004 हे0) वन भूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। (Proposal No. FP/MP/WATER/145025/2021)

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र कमांक/6-MBP 034/2022-BHO दिनांक 14.02.2024

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पृष्ठा. कमांक/एफ–5/1171/2022/10–11/1126 भोपाल, दिनांक 19.02.2024

–000–

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (1) से गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 3.1519 हे0 (ऑनलाईन आवेदित 3.2004 हे0) वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र बरगवाँ का कक्ष क्रमांक RF 227, 225, 232, 233, 235, 236, 247 एवं PF 224, 216, 215, 201, 202, 116 एवं वन परिक्षेत्र जियावन का कक्ष क्र0 RF 757, 758, 759 एवं PF 777, 824, 825, 745, 746, 747, 778, 741, 739, 734, 743, 782 रकवा 3.1519 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	मद का नाम	रकवा (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	3.1519	38,72,393/–	–	38,72,393/–
			38,72,393/–	–	**38,72,393/–**

3. क्षतिपूर्ती वनीकरण रकवा 3.1519 हे0 (out of 6.50 हे0) की राशि, प्रकरण कमांक Proposal No. FP/MP/WATER/154588/2022 से जमा करने हेतु लेख किया गया है। एन.पी.व्ही. की राशि रू. 38,72,393/–(रू. अड़तीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ बानवें मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

4. प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण/नामांतरण, फार्म पी–2, कब्जा रसीद की प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर सिंगरौली के प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम, आवक क्र. 420, दिनांक 29/02/24, सिंगरौली (म.प्र.)

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0/तक0/ 1579 सिंगरौली दिनांक 28-02-2024

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

Shri Anuj for n.a. Pankaj